

(लाख रुपए)

	1981-82 के दौरान वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान 1982-83
(1) तिलहन विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	1390.0	2133.0
(2) दलहन के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	309.1	333.8
(3) धान्यों और दलहनों के बीजों के मिनीकिटों का वितरण (धान की सामुदायिक पौध-शालाओं सहित)	218.0	646.2
(4) सामाजिक बानिकी	488.0	980.0

(ग) यह स्पष्ट नहीं है कि किस अवधि के लिए तथा किस विशिष्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत घनराशि के उपयोग से सम्बन्धित जानकारी मांगी गयी है।

जमुना-पार क्षेत्र में जमीन हड़पने के मामले

9617. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के जमुना-पार क्षेत्र में इन दिनों गैर कानूनी तरीके से जमीन हड़पने का खंघा जोरों पर है और इस सम्बन्ध में सरकार को बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या ये शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधि-ग्रहण किये गये अनेक प्लाटों को गुण्डों ने जबरदस्ती कब्जा करके उन्हें बेच दिया है

तथा बैनामों में भी पर्याप्त हेरा-फेरी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) :
(क) से (ग) दिल्ली भूमि (अन्तरण पर रोक) अधिनियम, 1972 अधिसूचित भूमि के अन्तरण पर प्रतिबन्ध लगाता है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दोषी व्यक्तियों का पता लगाने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए पुलिस उपायुक्त के अधीन पहले ही एक विशेष कक्ष गठित कर दिया गया है और कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इस विशेष कक्ष ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत जमुना-पार क्षेत्र की अधिसूचित/अर्जित भूमि की गैर-कानूनी बिक्री के निम्नलिखित मामलों को दर्ज किया है :—

वर्ष	दायर मामले
1980	49
1981	97
1982	492

दिल्ली प्रशासन ने आगे बताया है कि न्यायालय में 83 मामले दायर किए गए और यमुना-पार क्षेत्र में ऐसे मामलों से सम्बन्धित 1269 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

सरकारी आवास के सम्बन्ध में किराये की बकाया राशि

9618. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आवासों में रह रहे कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो समय पर किराया नहीं देते;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति कितने हैं और अब तक उनकी ओर कुल कितनी राशि बकाया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों से किराया वसूल करने के लिए कुछ अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो 1980-81 और 1981-82 के दौरान उपरोक्त कर्मचारियों ने इन व्यक्तियों से किराए की कितनी राशि वसूल की और उक्त अवधि के दौरान इन अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) :

(क) जी, हाँ। सामान्य पूरा में सरकारी आवास सामान्यतः पात्र सरकारी कर्मचारियों

को आबंटित किया जाता है तथा आहुर्ता तथा वितरण अधिकारी द्वारा उनके वेतन से लाइसेन्स फीस वसूल की जाती है। अतः उनके द्वारा समय पर लाइसेन्स फीस न देने का प्रश्न सामान्यतः नहीं उठता। तथापि, कुछ अपात्र व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शर्तों पर आवास आबंटित किये गए हैं और उनमें से कुछ समय पर मुग्तान न करने के दोषी हैं।

(ख) 86 व्यक्ति जिनके खिलाफ 1,34,536,13 रुपए बाकी हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Development of Western Ghats

9619. SHRI N. DENNIS : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the steps taken by Government under Western Ghats Hill Development Programme so far; and

(b) whether there are concrete proposals also for the development of the places in Tamil Nadu covered in the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Setting up of Fishing Harbour in Kanya Kumari District

9920 SHRI N. DENNIS : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state whether there are proposals under the consideration of Government to establish a fishing harbour at Colachel in Kanya Kumari District?